<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण कः - 983 / 14</u> संस्थापन दिनांकः -- 17 / 12 / 14 फाईलिंग नं. 233504000542014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. मनोज पिता रामाधार बेले, उम्र 32 वर्ष
- 2. किसनलाल पिता चैतू बेले, उम्र 65, दोनों निवासी ढूटमुर, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

...<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 23.01.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त मनोज के विरूद्ध धारा 304(ए) भा0दं०सं० एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.11.2014 को समय रात्रि 12:30 बजे प्रार्थी के घर के सामने ग्राम ढुटमुर थाना आमला जिला बैतूल में लोग मार्ग पर वाहन लाल रंग का मैसी ट्रेक्टर क. एम.एच.—32—ए—7534 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत सद्दू की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया तथा अभियुक्त किसनलाल के विरूद्ध धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने को दिया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलावाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.11.2014 को थाना आमला में फरियादी गोविंदा की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग क. 74/14 इस आशय का दर्ज किया गया कि वह दिनांक 23.11.2014 को गांव के कल्लू चौहान के यहां चोटी के प्रोग्राम में खांडे पिपरिया किसनलाल जगदेव के ट्रेक्टर क. एमएच—32—ए—7534 से पूजा करने गये थे। रात्रि करीब 12:30 बजे वापस आये। उसके चाचा सद्दू को मनोज बेले, कल्लू चौहान, सुरेश जगदेव ने उनके घर के सामने उतारा और बताया कि उसके चाचा सद्दू को वापस आते ट्रेक्टर से गिर

जाने से चोट लगी है जिसकी कुछ देर बाद मृत्यु हो गयी। फरियादी द्वारा दर्ज कराये गये मर्ग की जांच उपरांत थाना आमला में दिनांक 25.11.2014 को ट्रेक्टर क. एमएच—32—ए—7534 के चालक मनोज बेले के विरुद्ध अपराध क. 991/14 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। मृतक का शव परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक लाल रंग का मैसी ट्रेक्टर क. एमएच—32—ए—7534 मय ट्राली के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। अभियुक्त के पास झ्रायविंग लायसेंस न होने से एवं वाहन बीमित न होने से अभियुक्त मनोज के विरुद्ध धारा 3/181, 146/196 मोटर यान अधिनियम तथा अभियुक्त किसनलाल के विरुद्ध धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त मनोज ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोग मार्ग पर वाहन लाल रंग का मैसी द्रेक्टर क. एम.एच. —32—ए—7534 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत सद्दू की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?
- 2. क्या अभियुक्त मनोज ने घटना के समय उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
- 3. क्या घटना के समय अभियुक्त किसनलाल ने वाहन मेसी द्रेक्टर क. एम.एच.—32—ए—7534 को बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने को दिया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलावाया ?
- निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 6 गोविंदा (अ.सा.—1), कल्लू (अ.सा.—2), रामदेव (अ.सा.—4), मुन्नालाल (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मृतक सद्दू की मृत्यु द्वेक्टर से गिर जाने पर हो गयी थी।
- विनेश सोनी (अ.सा.—7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह सीएचसी आमला में कम्पाउंडर के पद पर पदस्थ है। उसने डॉ. रोहित के साथ काम किया है और वह उनके हस्ताक्षर से परिचित हैं। दिनांक 24.11.2014 को डॉ. रोहित ने मृतक सद्दू का शव परीक्षण किया था शव परीक्षण में डॉ. रोहित ने मृतक के दोनों हिब ज्वाइंट में डिसलोकेशन और हड्डी टूटी होना, एनस से खून आना और पेट में भी खून पाया था तथा मृत्यु का कारण आंतरिक चोटे और अंदरूनी अंगों में खून के रिसाव था। साक्षी ने डॉ. रोहित द्वारा दी एकी शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी—12) पर डॉ. रोहित के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण एवं साक्षीगण गोविंदा (अ.सा.—1), कल्लू (अ.सा.—2), रामदेव (अ.सा.—4), मुन्नालाल (अ.सा.—4) के कथनों से मृतक सद्दू की दुर्घटना में मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।
- 8 बिसनिसंह (अ.सा.—6) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 24.11. 2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक 25.11.2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—11) लेखबद्ध की थी एवं उक्त दिनां को ही अपराध क. 991 / 14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा प्रदर्श पी—3 एवं नक्शा प्रदर्श पी—3ए तैयार किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने दिनांक 24.11.2014 को मृतक सद्दू का नक्शा पंचायतनामा (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था तथा दिनांक 08.12.2014 को अभियुक्त से एक लाल रंग का द्रेक्टर बिना नंबर का मय द्राली के जप्त कर (प्रदर्श पी—9) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—10) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 9 प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक को वाहन ट्रेक्टर क. एम.एच.—32—ए—7534 उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया जिससे मृतक सद्दू की मृत्यु हो गयी ?
- 10 इस संबंध में साक्षी गोविंदा (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर था। उसे यह खबर मिली कि उसके चाचा द्रेक्टर से गिर गये हैं। फिर कुछ देर बाद गांव के कल्लू, सुरेश, मनोज, दिलीप, संजय ने उसके चाचा सद्दू को लाकर खटिया में लेटा दिया। उसके चाचा सद्दू की पीठ पर द्रेक्टर का निशान था। बाद में उसे यह पता चला कि

अभियुक्त मनोज देक्टर चला रहा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किसकी गलती से उसके चाचा सद्दू की मृत्यु हुई। उसने घटना की सूचना थाने में दी थी। उसके समक्ष लाश का नक्शा पंचायतनामा और मौके का नक्शा तैयार किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि दिनांक 23.11.2014 को उसके चाचा सद्दू किसन के द्वेक्टर क. एम.एच. —32—ए—7534 से वापस आया और जैसे ही उतरने को हुआ तब द्वेक्टर के चालक मनोज ने द्वेक्टर को तेज गित एवं लापरवाही से आगे बढ़ा दिया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी गोविंदा (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। पुलिस ने उससे घर पर पूछताछ की थी।

कल्लू (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के 11 समय वह बच्चों के साथ द्राली में बैठा हुआ था। द्रेक्टर अभियुक्त मनोज चला रहा था। सद्दू ट्रेक्टर के मुंडेर पर बैठा हुआ था। सद्दू ट्रेक्टर और द्राली के बीच में गिर गया जिससे द्वाली का चक्का उसके उपर से चला गया। इसके बाद सद्दू को उसके घर पर ले जाकर लेटा दिया गया। बाद में पता चला कि सद्दू की मृत्यु हो गयी है। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि ध ाटना दिनांक को सद्दू ट्रेक्टर क. एम.एच.—32—ए—7534 से उतर रहा था और ट्रेक्टर के ड्रायवर अभियुक्त मनोज ने ट्रेक्टर को झटके से आगे बढ़ा दिया जिससे द्राली का टायर सद्दू के उपर से चला गया था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि सद्दू की मृत्यु अभियुक्त मनोज द्वारा ट्रेक्टर को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी परंतु साक्षी कल्लू (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। जब वह मौके पर पहुंचा तो मृतक नीचे पड़ा हुआ था। उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि गाड़ी तेजी व लापरवाही से चल रही थी। मृतक की मृत्यु कैसे हुई इसकी उसके जानकारी नहीं है।

12 प्रकरण में अन्य साक्षी मुन्नीलाल (अ.सा.—3), रामदेव (अ.सा.—4), मुन्नालाल (अ.सा.—5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने मुख्य परीक्षण में मात्र सद्दू की द्रेक्टर से गिरकर मृत्यु हो जाना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी मुन्नीलाल (अ.सा.—3) एवं रामदेव (अ. सा.—4) ने घटना की कोई भी जानकारी न होना बताया है तथा साक्षी मुन्नालाल (अ.सा.—5) ने यह बताया है कि उसने घटना घटित होते नहीं देखी। गाड़ी कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था उसे नहीं मालूम। कार्यक्रम से पहले ही वह घर आ गया था। बाद में लोगों ने बताया था कि सद्दू की मृत्यु हो गयी थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को इस संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा द्रेक्टर को चलाया गया

और सद्दू की मृत्यु द्रेक्टर को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर कारित की।

- 13 प्रकरण में साक्षी गोविंदा (अ.सा.—1) ने यद्यपि मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि देक्टर अभियुक्त मनोज चला रहा था परंतु तत्पश्चात अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है एवं साथ ही प्रतिपरीक्षण में घटना के समय मौके पर न होना बताया है। इसी तरह से साक्षी कल्लू (अ.सा.—2) जिसके द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियुक्त मनोज के द्वारा देक्टर को चलाया जाना और घटना के समय स्वयं को देक्टर में बैठा होना बताया है परंतु प्रति परीक्षण में साक्षी ने दुर्घटना के संबंध में कोई भी जानकारी न होना बताया है और यह भी बताया है कि उसके द्वारा पुलिस को यह नहीं बताया गया था कि गाड़ी तेजी और लापरवाही से चल रही थी। सद्दू की मृत्यु किस तरह से हुई इसकी भी जानकारी न होना बताया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरिक्षत प्रतीत नहीं होता है एवं साथ ही अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है।
- 14 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मनोज देक्टर क. एम.एच.—32—ए—7534 को चला रहा था। तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त मनोज ने देक्टर को उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चलाया। प्रकरण में विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.—6) ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त मनोज से किस नंबर का देक्टर जप्त किया गया। साथ ही प्रकरण में अभियुक्त से वाहन की जप्ती घटना दिनांक 24.11.2014 से दिनांक 08.12.2014 अर्थात लगभग 15 दिनों के बाद हुई है। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण में यह ही स्थापित नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मनोज वाहन देक्टर क. एम.एच.—32—ए—7534 को चला रहा था। तब ऐसी स्थिति में घटना दिनांक से लगभग 15 दिनों के पश्चात की गयी वाहन की जप्ती से यह नहीं माना जा सकता कि घटना दिनांक को वाहन अभियुक्त मनोज के द्वारा बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया गया एवं अभियुक्त किसनलाल के द्वारा उक्त वाहन को अभियुक्त मनोज को उसके पास लायसेंस न होते हुए एवं वाहन का बीमा न होते हुए चलाने के लिए दिया गया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

15 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त मनोज ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोग मार्ग पर वाहन लाल रंग का मैसी द्रेक्टर क. एम.एच.—32—ए—7534 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत सद्दू की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया। अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त किसनलाल घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मैसी ट्रेक्टर क. एम.एच.—32—ए—7534 को बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने को दिया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलावाया। फलतः अभियुक्त मनोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ए) एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम तथा अभियुक्त किसनलाल को धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 16 प्रकरण में जप्तशुदा लाल रंग का मैसी द्रेक्टर क. एमएच—32—ए—7534 मय द्राली किसनलाल पिता चैतू निवासी ढुटमुर थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।
- 17 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)